



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04062025-263481
CG-MH-E-04062025-263481

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2323]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 2323]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 28 मई, 2025

का.आ. 2378(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, निचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4) में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना के सन्दर्भ में विश्वामित्री-- डभोई सम्मिलित विश्वामित्री वाई कनेक्शन (कि.मी 32.75) दोहरीकरण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के निषपादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती हैं।

सारणी

क्रमसं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रांत अधिकारी, वडोदरा	वडोदरा	वडोदरा
2	प्रांत अधिकारी, डभोई	डभोई	वडोदरा

[ई ऑफिस फा. सं. ई-558295-3]

राजेश श्रीवास्तव, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण) II

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th May, 2025

S.O. 2378(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Doubling between Vishvamitri - Dabhoi including Y-connection at Vishvamitri (Km 32.75)” project in the State of Gujarat relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Taluka	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prant Officer, Vadodara	Vadodara	Vadodara
2	Prant Officer, Dabhoi	Dabhoi	Vadodara

[E Office F. No. E-558295-3]

RAJESH SRIVASTAV, Chief Project Manager (Construction) II